भी बताना चाहता हूं कि भूतलिंगम रिपोर्ट के बारे में अलग अलग राय हैं। इस रिपोर्ट के अन्तर्गत एक राय यह भी रखी गयी है कि रेल को पब्लिक सैक्टर की तरह ही नहीं, अन्य प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स के स्तर पर भी समझा जाना चाहिए और उसी के आधार पर विचार होना चाहिए। लेकिन इस सब के बारे में संतुलित रूप से विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसैन।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न तो रहता है। अभी तो मैंने अपने पहले पूरक प्रश्न का स्पष्टीकरण मांगा था।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या रेलवे फेडरेशन ने यह घोषणा की है कि 31-8-78 तक वे कर्मचारियों का वैलट करेंगे और पहली अक्टूबर में हड़ताल की जाएगी? क्या सरकार ने, इस प्रकाश में, फेडरेशन के अधिकारियों को बुला कर बातचीत करने की चेष्टा की है? यदि की है तो उसका क्या परिणाम निकला?

प्रो० मधु दंडवते : पिछले सत्र में भी मैंने बताया था कि विभिन्न फेडरेशनों के साथ और ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले संसद सदस्यों के साथ इन सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। बेलट का नोटिस नहीं आया है। लेकिन बैलट लेने का जो निर्णय लिया है वह इन्टक एफिलियेटिड फेडरेशन ने लिया है।

श्री उग्रसेन : विगत एक महीने से मंत्री महोदय इस बात को कह रहे हैं कि रेलवे में जितनी फैडेरेशंज काम करती हैं उनके प्रतिनिधियों को मैं बुलाऊंगा और बोनस और ग्रेड तथा दूसरी उनकी मांगों के बारे में विचार करूंगा। भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि उसकी रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना है। वह मानने योग्य थी भी नहीं। आल इंडिया रेलवे मैंज फेडरेशन को जो रेल मजदूरों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उसके प्रतिनिधियों को आप किस तारीख को बुलाएंगे और उन्होंने जो मांगें पेश की हैं उन पर कब तक आप विचार करेंगे ताकि उन्होंने वैलट के बारे में जो निर्णय लिया है और वे हड़ताल भी कर सकते हैं, वह स्थिति उत्पन्न न हो?

प्रो० मधु दंडवते : जिस हड़ताल का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है और आल इंडिया रेलवे मैंज फैडरेशन का सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है वे अलग अलग सवाल हैं। इस फैडेरेशन ने जो क्लासिफिकेशन आर्टिजन्ज की है और जो टंडन ट्रिब्यूनल ने एवार्ड दिया है उसके इम्प्लमेंटेशन के बारे में एक दिन की टोकन स्ट्राइक की बात की है। अलग अलग संस्थाओं के साथ जरूर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस प्रश्न के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे रेस्टोरेन्टों में अस्थायी कर्मचारी

*27. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रेस्टोरेन्टों और कैन्टीनों में बहुत से कर्मचारी अनेक वर्षों से अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें नैमित्तिक मजदूरों के रूप में मजूरी की अदायगी की जाती है;

(ख) क्या सरकारी नियमों के अनुसार 3 मास से अधिक समय से निरन्तर सेवा करते रहने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिये;

(ग) ऐसे उपरोक्त अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो एक वर्ष से

अधिक की अवधि से नैमित्तिक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो ऐसे मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ख). रेलों के खान-पान विभाग में कमीशन पर काम करने वाले बैरे और खोमचे वाले होते हैं जो रेल कर्मचारी तो नहीं होते लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली बिक्री के प्रतिशत के रूप में उन्हें कमीशन दी जाती है । कमीशन के आधार पर काम करने वाले बैरों की संख्या लगभग 2100 है और खोमचे वालों की संख्या 4000 है । यह विनिश्चय किया गया है कि कमीशन वाले बैरों को उनके सेवा-काल के आधार पर अलग-अलग चरणों में चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित कर लिया जाये । खोमचे वालों को इस योजना के अंतर्गत लाना सम्भव नहीं है ।

Selection of Railway Staff in Violation of Indian Railway Establishment Manual

*29. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3799 on the 21st March, 1978 regarding interview for Inspectors of Works Grade 1 and state:

(a) reasons for making a panel of 16 persons (general) while 56 general and 4 Scheduled Caste candidates were called and the anticipated vacancies were under 20 posts in violation of para 216(d) of the Indian Railway Establishment Manual;

(b) reasons for non-selection of technically qualified Scheduled Caste candidates who had officiated in the grade while non-technically qualified general candidates at serial Nos. 40, 49 and 51 appointed as work-mistries in 1952, 1955 and 1977 have been selected by accelerated promotions;

(c) authority which ordered de-reservation without considering the merits of the Scheduled Caste candidates vis-a-vis the junior most non-technical qualified general candidates; and

(d) will he institute an enquiry into the circumstances of this selection violating manual provisions, departmental policy circulars, reservation circulars etc. and punish the guilty officers?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) For preparing a panel of 20 inspectors including 14 from general candidates, 4 from Scheduled Castes and 2 from Scheduled Tribes, only 56 general candidates and only 4 Scheduled Castes candidates available in the field of selection, were called. Since there were no Scheduled Tribe candidates in the eligible categories, the two vacancies were de-reserved and the panel of general candidates accordingly increased to 16. There has been no violation of the provisions of the Indian Railway Establishment Manual.

(b) The Scheduled Caste candidates did not get the necessary qualifying marks in the selection. The general candidates mentioned did get the required marks.

(c) The vacancies reserved for Scheduled Castes have not so far been de-reserved.

(d) Does not arise, since the rules and orders have been followed.